फाइल नं0-71-1002/12/2021

संख्या-71/2024//।/522179/2024

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 16 मार्च, 2024**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्र सहायतित योजना फेज-2 के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में एम 0बी0बी0एस0(यू0जी0) सीटों की वृद्धि के सापेक्ष एकेमिक ब्लाक के अंतर्गत परीक्षा भवन का विस्तार के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2023-24/1021, दिनांक 12.03.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्र सहायतित योजना फेज-2 के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में एम 0बी0बी0एस0(यू0जी0) सीटों की वृद्धि के सापेक्ष एकेमिक ब्लाक के अंतर्गत परीक्षा भवन का विस्तार के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था-उसमाज कल्याण निर्माण निगम 0प्र0, लि (सिडको) 0 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन रू0 306.00 लाख के सापेक्ष रू0 5.00 करोड़ तक की योजनाओ/परियोजनाओं के व्यय प्रस्तावों के मूल्याकन (अप्रेजल) एवं औचित्य के परीक्षण हेतु गठित तकनीकी समिति के परीक्षणोंपरान्त आंकलित लागत रू0 304.47 लाख के क्रम में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-यू014017/146/2019-एमई/।।-8035777, दिनांक 25.08.2022 द्वारा Upgradation of existing State Government/Central Government Medical Collages to increase MBBS seats in the country हेतु केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेजो में एम0बी0बी0एस0 (यू0जी0) सीटों की वृद्धि पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में 100 यू0जी0 सीटों की वृद्धि करते हुए रू0 120.00 करोड़ की लागत अनुमोदित की गयी। उक्त योजना का फण्डिग पैटर्न 60:40 है। राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में यू0जी0 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमोदित लागत रू0 120.00 करोड़ के सापेक्ष शासनादेश संख्या-57/2023/।/296217/2023-71-1002/15/2022, दिनांक 30.03.2023 द्वारा रू0 33.12 करोड़, शासनादेश संख्या-110/2023/।/363840/2023-71-1002/15/2022, दिनांक 07.08.2023 द्वारा रू0 14.88 करोड़ तथा शासनादेश संख्या-138/2023/।/409577/2023-71-1002/15/2022, दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

17.10.2023 द्वारा रू0 28.80 करोड़, इस प्रकार कुल रू0 76.80 करोड़ (केन्द्रांश रू0 28.80 करोड़+राज्यांश रू0 48.00 करोड़) की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के निर्वतन पर कतिपय शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन रखी गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है केन्द्र सहायतित योजना फेज-2 के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में एम 0बी0बी0एस0(यू0जी0) सीटों की वृद्धि के सापेक्ष **एकेमिक ब्लाक के अंतर्गत परीक्षा भवन का विस्तार के निर्माण** हेतु तकनीकी समिति द्वारा आकलित लागत रू0 304.47 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30.03.2023, दिनांक 07.08.2023 तथा दिनांक 17.10.2023 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में 100 एम0बी0बी0एस0 (यू0जी0) सीटों की वृद्धि के सापेक्ष महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रक्षित धनराशि कुल रू0 76.80 करोड़ (केन्द्रांश रू0 28.80 करोड़+राज्यांश रू0 48.00 करोड़) में से परियोजना की सम्पूर्ण रू0 304.47 लाख (केन्द्रांश रू0 200.00 लाख+राज्यांश रू0 104.47 लाख) पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते से हस्तांरित की जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. आगणन में प्राविधानित मदों की मात्राओं को यथावत् मानते हुए आगणन का परीक्षण किया गया है। आगणन में प्राविधानित वे मदें, जो डी0एस0आर0 में निहित है, का परीक्षण कर किया गया है। ऐसी मदें जो बाजार दरों पर आधारित है उनके सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत न्यूनतम प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कार्य सम्पादित कराया जाए।
2. आगणन में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 का प्रावधान किया गया है, जो नियमानुसार देय होगा।
3. आगणन में 10 प्रतिशत सेंटेज का प्रावधान किया गया है, जो नियमानुसार देय होगा।
4. कार्यो में प्रयुक्त डिजाइन, सामग्री आदि हेतु कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।
5. आगणन में विभागीय दक्षता हेतु 05 प्रतिशत कम कर दिया गया है।
6. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।
7. भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनॉक 17.03.2023 (यथासंशोधित) में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये
9. प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
11. महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की दुरावृत्ति नहीं हो रही है।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
13. अवमुक्त की जा रही धनराशि को बैक एंव डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या व तद्दिनांक-उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र संख्या-यू014017/146/2019-एमई/।।-8035777, दिनांक 25.08.2022 के संदर्भ में।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in